

कृष्ण यादव व एक अन्य

बनाम

हरियाणा राज्य व अन्य

12/05/1994

[ एस.सी. अग्रवाल व एस. मोहन, न्यायाधिपतिगण ]

सेवा कानून—चयन— हरियाणा अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा कराधान निरीक्षकों की भर्ती मनमानी, अनियमित और धोखाधड़ी से किये जाने के कारण पूरी—भर्ती को रद्द कर दिया गया—पूरी भर्ती को अपास्त कर आैर बोर्ड के सभी सदस्यों पर व्यक्तिगत रूप से दंडात्मक जुर्माना लगाया गया— न्यायालय द्वारा सीबीआई रिपोर्ट को स्वीकार किये जाने के कारण संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन चलाये जाने के निर्देश दिये गये—पुनः परीक्षा, साक्षात्कार के आदेश दिये गये साक्षात्कार में कुल अंक के 121/2 प्रतिशत से अधिक नहीं होने के लिए निर्देशित किया गया।

हरियाणा अधीनस्थ चयन बोर्ड ने कराधान निरीक्षकों की भर्ती के लिए दिसंबर 1988 में लिखित परीक्षा आयोजित की आैर अक्टूबर 1989 में समितियों द्वारा साक्षात्कार आयोजित किए गए जिसमें प्रतिदिन 200 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया। चयन सूची को नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किए बिना सरकार को गुप्त रूप से भेजी गई थी और चयनित

अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग रिपोर्ट चंडीगढ़ में मौके पर ही बिना पूर्ववृत्त के सत्यापन या बिना चिकित्सीय परीक्षण के प्राप्त कर ली गई। असफल अभ्यर्थियों द्वारा पक्षपात, भाई-भतीजावाद, भेदभाव और राजनीतिक दबाव का आरोप लगाते हुए रिट याचिकाएँ दायर की गईं और इसी बीच मूल रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया गया।

उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया कि अभिलेखों के नष्ट हो जाने से रिट याचिकाकर्ताओं के आरोपों पर न्याय निर्णयन नहीं किया जा सकता। साक्षात्कार में 28.5 प्रतिशत अंक दिया जाना अत्यधिक नहीं माना गया, हालाँकि यह निर्देश दिया गया कि विज्ञापित 96 सीटों से अधिक सीटें नहीं भरी जायेगी।

असफल रिट याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता विशेषतया रिकॉर्ड के नष्ट हो जाने के कारण, को देखते हुए हरियाणा राज्य को इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को भेजने का निर्देश दिया। न्यायालय ने सी.बी.आई. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।

इस न्यायालय द्वारा अपील को स्वीकार करते हुये अभिनिर्धारित किया गया।

1. सीबीआई ने सराहनीय काम किया है और मंत्री को शामिल करते हुए किसी भी संबंधित व्यक्ति को बचाये बिना एकदम सटीक रिपोर्ट देने में सफल हुई। सीबीआई की रिपोर्ट में दिये गये संकेतों के आधार पर न्यायालय का निष्कर्ष दर्शाता है : (i) कोई साक्षात्कार नहीं (ii) फर्जी साक्षात्कार, (iii) भूत साक्षात्कार (iv) गंभीर अनियमितताएं (v) अभिलेखों का गढ़ना, (vi) धोखाधड़ी (vii) उच्च अधिकारियों के आदेश पर कार्रवाई (viii) मंत्रिस्तरीय हस्तक्षेप और (ix) पक्षपात । अकाट्य निष्कर्ष यह है कि "धोखाधड़ी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है"। [1051-ई, 1052-ए-एच, 1053-सी-ई, 1055-ई, 1056-ए-एच, 1057-ए]

2. सभी संबंधित लोग बाह्य प्रतिफलों से प्रेरित थे। सभी कृत्य जिनसे भारतीय दंड संहिता के प्रावधान आकर्षित हुए हैं गंभीरता के साथ कारित किये गये हैं। "चयन सूची" से बाहर अभ्यर्थियों को गुपचुप तरीके से संचार संदेश भेजे गये। बिना मेडिकल टेस्ट या पूर्ववृत्त का सत्यापन के बिना चयन किया गया।(1057-ई]

3. सार्वजनिक कार्यालय चाहे वे छोटे हो या बड़े, पवित्र संस्था होते हैं। वे उपयोग के लिए हैं, न कि दुरुपयोग के लिए। इन मामलो में मंत्री से लेकर सेवक तक सभी ने अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए बेईमानी की है। इस तरह की व्यवस्थित धोखाधड़ी को देखकर न्यायालय की अंतरात्मा

आश्चर्यचकित है। यह कुछ हद तक आश्चर्यजनक है कि उच्च न्यायालय को यह कहते हुए कम से कम प्रतिरोध करना चाहिए था कि अभिलेखों के नष्ट हो जाने से वह असहाय था। उनको स्वयं की मदद करनी चाहिए थी, कानून इतना भी शक्तिहीन नहीं है। [1057-ई-जी]

4. एकमात्र उचित प्रक्रिया यह है कि संपूर्ण चयन प्रक्रिया को अपास्त कर दिया जावे। यह दलील कि निर्दोष अभ्यर्थियों को दूसरों के कदाचार के लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए, यह अस्वीकार्य है। जब पूरा चयन दूषित हो, धोखाधड़ी से ग्रस्त हो और छल से किया गया हो, वहां व्यक्तिगत निर्दोषिता की कोई जगह नहीं है, क्योंकि "धोखा सब कुछ समाप्त कर देता है।" पूरा चयन मनमाना है। [1057-जी-एच, 1058-ए]

5. हालांकि सामान्य तौर पर कहा जाए तो 96 चयनित अभ्यर्थियों को अपने संपूर्ण वेतन और भत्ते वापस चुकाने होंगे, जो उन्होंने प्राप्त किया। सहानुभूति की लकीर दिखाई जा सकती है। यदि उनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया जावे तो उनके द्वारा उचित सबक सिखा जा सकेगा, उनको यह सिखाना कि बेईमानी का फल कभी भी नहीं मिलता। (1058-बी-सी)

6. नये सिरे से की जाने वाली भर्ती में लिखित परीक्षा कुल 200 अंक की होगी तथा साक्षात्कार के लिए कुल 25 अंक होंगे, जो कि यह 121/2 प्रतिशत से अधिक नहीं है। सारणीबद्ध परिणाम का अंतिम विश्लेषण

10 दिसंबर, 1994 को या उससे पहले इस न्यायालय को प्रस्तुत किए जाएंगे। पिछली परीक्षा से जुड़े हुए एक भी व्यक्ति का वर्तमान परीक्षा से कोई लेना-देना नहीं होगा। राज्य यह देखने का प्रयास करेंगे कि परीक्षा बिना किसी शिकायत के निष्पक्षतापूर्वक आयोजित की जा रही है, यदि आवश्यक हो तो किसी स्वतंत्र एजेंसी या निकाय की सहायता भी ली जा सकती है। [1058-एफ; 1059-सी-डी-ई]

मोहिन्दर सैन गर्ग बनाम पंजाब राज्य. [1991] 1 एससीसी 662 के निर्णय को विचार में लिया गया।

7. सीबीआई रिपोर्ट की स्वीकृति के दृष्टिगत शीघ्र ही सभी संबंधितों के खिलाफ आवश्यक अभियोजन चलाया जायेगा, चाहे वे आधिकारिक तौर पर पदानुक्रम में कितने ही उपर या नीचे हो। [1059-एफ]

8. अपीलकर्ताओं को खर्चों सहित मुआवजा दिया जायेगा। चयन बोर्ड के सभी चार सदस्य खर्चों के रूप में व्यक्तिगत तौर पर 10,000/- रुपये भुगतान करेंगे और यह खर्चा राज्य के खाते से नहीं काटा जायेगा। [1059-जी-एच]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 726/1993

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय 1990 का सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक 8286 में पारित आदेश एवं निर्णय दिनांकित 10.09.90 से।

साथ

सिविल अपील संख्या-727/1993

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 171/1990 दिनांकित 10.09.90 से।

अपीलार्थी पक्षकारों की ओर से श्री गोबिंदा मुखोटे, एके गांगुली, आर.के. गर्ग, एस.सी.मोहरता, रणबीर यादव, ए. मारियारपुथम, अरोना माथुर, एन.ए. सिद्धीकी, सुश्री इंदु मल्होत्रा श्री के.सी.बजाज की ओर से, महाबीर सिंह, एसके मिश्रा, नरेंद्र कौशिक, प्रदीप गुप्ता, के.के. मोहन, बी.एस. मोर, वी.माया कृष्णन, पन्ना लाल सिंघल, फ्रैंकलिन डेविड, एस.के. मेहता, ध्रुव मेहता, अमन वकचर, ए.के. सांघी, केके गुप्ता, के.आर. नागराजा और के.बी. रोहतगी।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश **मोहन न्यायाधिपति** द्वारा सुनाया गया

इन दोनों मामलों को एक सामान्य निर्णय के तहत निस्तारित किया जा सकता है, क्योंकि इन प्रकरणों में जो प्रश्न हमारे विचार के लिए सामने आया है वह अधीनस्थ चयन बोर्ड (जिसे आगे बोर्ड के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा कराधान निरीक्षकों की भर्ती की वैधता से संबंधित है। सभी अपीलार्थी असफल अभ्यर्थी हैं।

बोर्ड ने दिनांक 22-11-1986 को 1986 का विज्ञापन संख्या 5, जारी कर उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग में कराधान निरीक्षकों के 96 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इन 96 पदों में से 24 पद अनुसूचित जाति के लिए, 10 पद पिछड़ा वर्ग के लिए और 17 पद हरियाणा के पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित थे। न्यूनतम योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उसके समकक्ष स्तर तक थी, साथ ही मैट्रिक लेवल तक हिंदी का ज्ञान होना आवश्यक था। चयन 250 अंकों की लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाना था। उम्मीदवार तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत अंक और कुल मिलाकर न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं कर लेता। विज्ञापन के जवाब में कई अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, लेकिन किसी कारणवश लिखित परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी।

बोर्ड ने 1988 के विज्ञापन संख्या 3 दिनांक 7-7-1988 के अनुसार कराधान निरीक्षकों के समान 96 पदों के लिए फिर से विज्ञापन दिया। आरक्षण को वैसे ही रखा गया जैसा पूर्व विज्ञापन में था व बाकी शर्तें और योग्यताएं भी वैसी ही थी। इस विज्ञापन में यह उल्लेखित किया गया कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले बोर्ड के विज्ञापन संख्या 5, 1986 के तहत आवेदन किया था और निर्धारित योग्यता के अनुसार पात्र थे, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पुराने आवेदनों पर ही इन पदों

के लिए विचार में किया जाएगा। इस स्तर पर यह उल्लेखित किया जाना आवश्यक है कि बोर्ड ने पहले उन अभ्यर्थियों को रोल नंबर आवंटित किए जिन्होंने 1986 में आवेदन किया, फिर उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने 1988 में आवेदन किया था। रोल नंबरों की निरंतरता बनाए रखी गई थी।

बोर्ड के द्वारा दिनांक 17-12-1988 और 18-12-1988 को हरियाणा राज्य के विभिन्न केंद्रों पर लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। विभिन्न केंद्रों से उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त होने पर बोर्ड के सचिव द्वारा गोपनीय शाखा की मदद से एक कुंजी पुस्तिका तैयार की गई थी। इस कुंजी पुस्तिका में निम्नलिखित विवरण शामिल थे:-

- (i) माता-पिता के नाम के साथ उम्मीदवार का नाम।
- (ii) रोल नंबर।
- (iii) लिखित परीक्षा के विषय का विवरण।

मूल रोल नंबर पर्चियां हटाकर प्रत्येक अभ्यर्थियों को कुंजी पुस्तिका में काल्पनिक रोल नंबर आवंटित कर दिए गए थे। इसके पश्चात उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन के लिए अलग-अलग परीक्षकों के पास भेजी गईं। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने के बाद, परीक्षकों को एक पुरस्कार सूची तैयार करनी होती थी, जिसमें उम्मीदवारों के काल्पनिक रोल नंबर और प्रत्येक विषय में उनके द्वारा प्राप्त अंकों का सारांश होता था। उत्तर



पुस्तिकाएं प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्येक विषय में प्राप्त अंकों को कुंजी पुस्तिका में दर्ज किया गया। कुंजी पुस्तिका, पुरस्कार सूची एवं उत्तर पुस्तिकाओं के आधार पर बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा परिणाम तैयार किया गया। इसके बाद इसे नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर प्रकाशित किया गया।

कोई भी उम्मीदवार जो अपनी उत्तर पुस्तिका की दोबारा जांच कराना चाहता है, वह लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर निर्धारित शुल्क जमा करके ऐसा कर सकता है। ऐसी प्रक्रिया नियमों में इंगित की गई थी। बोर्ड में भी यही प्रक्रिया प्रचलित थी।

हालाँकि, अजीब बात यह है कि केवल 17 दिनों की समाप्ति के पश्चात ही दिनांक 3-10-1989 को साक्षात्कार आयोजित कराये जाने के निर्देश दिये गये। साक्षात्कार तीन अलग-अलग केंद्रों में आयोजित किए गए: (1) हिसार, (2) करनाल और (3) पिंजौर। इसलिए तीन साक्षात्कार समितियां गठित करनी पड़ीं। प्रत्येक समिति में दो बोर्ड सदस्य और उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग से एक सलाहकार शामिल थे। साक्षात्कार 12-10-1989 तक चले। प्रत्येक समिति द्वारा प्रत्येक दिन लगभग 200 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिये जाने थे। अपीलार्थियों का यह दावा था कि साक्षात्कार में उनका प्रदर्शन उत्कृष्ट था। इसलिए, यदि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के

प्रदर्शन के आधार पर निर्णय लिया जाए तो उनका चयन योग्यता के आधार पर होना चाहिए था।

मूल रूप से, प्रत्यर्थी संख्या 4, आनंद सिंह दांगी बोर्ड के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद राज्य सरकार द्वारा उनके स्थान पर नये अध्यक्ष की नियुक्ति की गयी थी। नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अगले दिन संबंधित पदों के लिए चयन सूची को अंतिम रूप दिया गया। वह सूची गुपचुप तरीके से विभाग को भेज दी गयी थी। यह उन मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन था जिसके लिए नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन की आवश्यकता होती है ताकि इसे जनता को बताया जा सके। चयन सूची को अत्यंत गोपनीय दस्तावेज के रूप में रखा गया था। इसे दूसरे प्रत्यर्थी (उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त) को हाथ से भेजा गया था। चयनित अभ्यर्थियों को बुलाने के पश्चात नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। चंडीगढ़ में मौके पर ही सभी चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई। उनमें से कुछ को संबंधित पोस्टिंग की जगह पर ज्वाइन करना दिखाया गया। चयनित अभ्यर्थियों के लिए कोई मेडिकल परीक्षा आयोजित नहीं की गई और न ही वास्तविक नियुक्ति से पहले उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन किया गया। इससे यह स्पष्ट रूप से है कि पक्षपात, भाई-भतीजावाद, अनुचितता और काफी हद तक राजनीतिक प्रभाव ने योग्यता को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए इस चयन में महत्वपूर्ण भूमिका

निभाई। सर्वविदित कारणों से दिनांक 27-12-1989 को उत्तर पुस्तिकाओं सहित मूल रिकार्ड को नष्ट कर दिया गया। बोर्ड द्वारा की गई अनियमितताओं को छिपाये जाने का प्रयास करने पर अपीलार्थी द्वारा इसे उजागर किया गया।

मुख्य रूप से, इन आरोपों पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष कई रिट याचिकाएँ दायर की गईं। 1990 के सीडब्ल्यूपी संख्या 7748 में वर्णित तथ्यों को विचार में लिया गया। उच्च न्यायालय की यह राय थी कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सभी उत्तर पुस्तिकाएं और सारणीबद्ध पुस्तिकाएं नष्ट हो गई हैं, इस कारण याचिकाकर्ताओं के आरोपों को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता। साक्षात्कार के लिए 100 अंकों को रखा जाना 250 अंकों का 28.5 प्रतिशत होगा। यह अत्यधिक नहीं था। अंततः विज्ञापित 96 पदों से अधिक पदों को न भरने का निर्देश दिया गया। इस फैसले के निर्णय को लागू करते हुए अन्य रिट याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

1990 के सीडब्ल्यूपी नंबर 8286 और 1990 के सीडब्ल्यूपी नंबर 8171 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों दिनांक 10-9-1990 और 10-8-1990 से व्यथित होकर कृष्ण यादव और अशोक कुमार, यहां अपीलकर्ता, ने संबंधित सिविल अपील संख्या क्रमशः 726 और 727/1993 दायर की।

विशेष रूप से जगह की कमी के कारण रिकॉर्ड को नष्ट करने के गंभीर आरोपों के मद्देनजर, इस न्यायालय ने 9-10-1991 को आदेश पारित कर हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि मामले को जांच के लिए सीबीआई को भेजा जाए और 3 महीने के भीतर जांच पूरी की जाए। जांच पूरी करने का समय बढ़ाया गया। पुलिस अधीक्षक, एसपीई/सीबीआई/चंडीगढ़ ने एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की, जिसे हम अभिलेख पर लेते हैं।

अपीलार्थियों की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री गोबिंदा मुखोटे और श्री एके गांगुली द्वारा रखे गये तर्कों को इस प्रकार संक्षेप में किया जा सकता है। यह एक स्पष्ट मामला है जिसमें भाई-भतीजावाद और पक्षपात के विभिन्न कृत्य किए गए हैं। पूरा चयन मनमाना है। बहुत ही आसानी से अभिलेखों को नष्ट करने की दलील दी गई। दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने आरोपों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ना ही आरोपों की सत्यता की जांच की। जब प्रत्यर्थियों द्वारा अभिलेखों को नष्ट करने की मांग की तो वह याचिका स्वीकार कर ली गई। परिणामस्वरूप अपीलार्थियों के आरोपों की जांच नहीं की जा सकी। न्याय प्रदान करने का यह शायद ही कोई तरीका है। सौभाग्य से, इस न्यायालय के समक्ष सीबीआई की एक रिपोर्ट है। इससे स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाएगा कि कैसे संगठित धोखाधड़ी हुई है। सत्ता

में बैठे लोगों ने कई अभ्यर्थियों के भाग्य के साथ खिलवाड़ किया है। चयन सूची में ओवरराइटिंग और छेड़छाड़ हैं। जो व्यक्ति साक्षात्कार में शामिल नहीं हुए उन्हें भी अंक दे दिए गए हैं। फर्जीवाड़ा किया गया है। बहुत से ऐसे मामले जहां साक्षात्कार देने वाले व्यक्तियों को अंतिम चयन सूची में अनुपस्थित घोषित कर दिया गया है। राजनीतिक प्रभाव को खुली छूट मिल गयी थी। इसलिए पूरे चयन को ही अपास्त कर देना चाहिए।

इसके विपरीत चयनित अभ्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.के. गर्ग ने तर्क दिया कि वे लोग किसी भी तरीके से अभिकथित धोखाधड़ी या भाई-भतीजावाद के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। इसलिए, "दूसरों के पापों" को चयनित अभ्यर्थियों पर नहीं डाला जाना चाहिए। यहां तक की, आज की तारीख में, वे लगभग 4 वर्षों की सेवा प्रदान कर चुके हैं। अगर अब उन्हें नौकरी से निकाला गया तो वे सड़कों पर आ जायेंगे, बड़ी कठिनाई होगी। इसलिए, चयन को अलग रखा जाए और खामियों के लिए संबंधित अधिकारियों की खिंचाई की जाए। यहां तक की, न्यायालय राहत को एेसे परिवर्तित कर सकता है जिससे कि हितों की रक्षा हो सके। यदि आगे भर्ती के लिए निर्देश दिये जाते हैं तो उसमें आयु में छूट के प्रश्न पर भी विचार किया जा सकता है।

इस न्यायालय के लिए यह संभव नहीं है कि वह मामले के तथ्यों को देखे और मामले को किसी न किसी तरीके से तय करे। हम पहले ही सीबीआई की रिपोर्ट को अभिलेख पर लिये जाने के बारे में बता चुके हैं। हमें केवल उसी को देखना है, क्योंकि रिपोर्ट अपने आप में स्वीकार योग्य है। हमारी सुविचारित राय में, सीबीआई ने एक सराहनीय काम किया है और एक मंत्री सहित किसी भी संबंधित व्यक्ति को बचाए बिना, स्पष्ट रूप से अपना जवाब पेश करने में सफल रही है। हम प्रत्येक उद्धरण के अंत में अपना निष्कर्ष देते समय रिपोर्ट की निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेंगे:

"जांच से पता चला है कि बोर्ड के कुछ सदस्यों की साक्षात्कार पुस्तिकाएं या तो खाली थीं या उन्होंने अपना मूल्यांकन वर्णमाला ABC में दिया था। पिंजौर में साक्षात्कार, अध्यक्ष श्री निरपाल सिंह मलिक, राव इंद्रपाल और श्री एचएमएल मिगलानी द्वारा आयोजित किए गये। अध्यक्ष श्री निरपाल सिंह मलिक के लिए रखी गई साक्षात्कार पुस्तिकाएँ पूरी तरह से खाली थीं, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने साक्षात्कार पत्रक पर कुछ भी नहीं लिखा है। सभी तारीखों पर बोर्ड से केवल एक सदस्य

साक्षात्कार में उपस्थित था, जबकि श्री एचएमएल मिगलानी, सलाहकार, सभी तिथियों पर उपस्थित रहे। श्री निरपाल सिंह मलिक को श्री मिगलानी ने साक्षात्कार केंद्र में कभी नहीं देखा। साक्षात्कार के पहले दिन, श्री मिगलानी ने साक्षात्कार केंद्र पर अध्यक्ष श्री डांगी से मुलाकात की थी और उनसे श्री डांगी द्वारा स्नातकोत्तर/एलएलबी आदि की अतिरिक्त योग्यता के लिए अतिरिक्त अंक आवंटित करने को कहा गया। तदनुसार, उन्होंने अपनी साक्षात्कार शीट पर 25 में से अंक आवंटित किए और जिनके पास अतिरिक्त योग्यता थी, उनके लिए उन्होंने 5 अंक अतिरिक्त आवंटित किए थे। उन्होंने श्री पुनीत जैन को पिंजौर में साक्षात्कार में भाग लेते नहीं देखा और उन्होंने उनका साक्षात्कार नहीं लिया..."

(निष्कर्ष.- कोई साक्षात्कार नहीं)

"एक साक्षात्कार पत्रक में, दिनांक 12-12-1989 को श्री शक्ति सिंह (रोल नंबर 6600) का साक्षात्कार श्री बचना राम द्वारा लिया गया दिखाया गया है, जबकि उसी उम्मीदवार का साक्षात्कार दिनांक 19-10-1989 को श्री

समय सिंह कंबोज और राव इंद्रपाल सिंह द्वारा लिया गया दिखाया गया है। इसी प्रकार, एक अन्य साक्षात्कार पत्रक में 4 अभ्यर्थियों क्रमशः श्री राम कुमार (रोल नंबर 17859), नरेंद्र सिंह (रोल नंबर 18540), सुमनशिव राणा (रोल नंबर 18851) और राम सिंह (रोल नंबर 23101) का श्री समय सिंह कम्बोज द्वारा बोर्ड कार्यालय में दिनांक 30.10.1989 को साक्षात्कार लिया गया दिखाया गया है, जबकि उन्हीं अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 19-10-1989 को राव इंद्रपाल सिंह व समय सिंह कम्बोज द्वारा भी बोर्ड कार्यालय में लिया गया दिखाया गया है....."

(निष्कर्ष.- फर्जी साक्षात्कार)

"प्रासंगिक उपस्थिति पत्रक और साक्षात्कार पत्रक के अन्य सेटों में श्री मोहिंदर सिंह का नाम नहीं था और वह दिनांक 12-10-1989 को करनाल में साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हुआ था। पिंजौर के लिए साक्षात्कार पत्रक की शीट संख्या 88 दिनांक 12-10-1989 अप्रैल 1990 में श्री भूपिंदर पाल सिंह द्वारा टाइप और तैयार की गई थी। श्री समय सिंह कंबोज और राव इंद्रपाल दोनों के द्वारा दिनांक 06-04-



1990 के बाद इस शीट पर हस्ताक्षर किए गये थे, लेकिन उन्होंने अपने हस्ताक्षर पूर्व तारीख में किए थे।"

(निष्कर्ष- भूत साक्षात्कार)

कुंजी पुस्तिका, उत्तर पुस्तिकाएं और पुरस्कार सूची जैसे अभिलेख जो अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के बारे में बता सकते हैं, बोर्ड के पास उपलब्ध नहीं हैं। इस स्थिति को देखते हुए, यह संभव नहीं है 166 पृष्ठों की सूची में दिखाए गए लिखित परीक्षा के अंक विरोधाभासी हैं। साक्षात्कार के अंक , बाद में तैयार की गई साक्षात्कार शीट के साथ-साथ 166 पृष्ठों की सूची में भी दिखाए गए हैं। इन अभिलेखों की जांच से गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं।"

के.यादव बनाम हरियाणा राज्य [मोहन, न्यायाधिपति)

क्रमांक	रोल नंबर	साक्षात्कार शीट में दर्शाये गये अंक	166 पेज शीट में से साक्षात्कार में प्राप्त अंक
1.	1906	पेन 9 पेंसिल 8	8

2.	2339	6	7
3.	2734	5	9
4.	2735	7	5
5.	2739	6	7

(निष्कर्ष - गंभीर अनियमितताएं)

"जब बोर्ड को जवाब दाखिल करने और रिकॉर्ड पेश करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय से नोटिस मिला, तो चयन का पूरा रिकॉर्ड जैसे कुंजी पुस्तिका, साक्षात्कार शीट, लिखित परीक्षा का परिणाम आदि श्री ए.पी.जैन के पास उपलब्ध थे। वह इसे अपनी अलमारी में रखते थे। बोर्ड द्वारा किए गए चयन को सही ठहराने के लिए, श्री एपी जैन और बचना राम ने श्री देवी दयाल और समय सिंह कंबोज की सक्रिय सहायता से, बोर्ड कार्यालय में कई दिनों तक चयन का रिकॉर्ड तैयार किया और पूरा किया और वे उक्त उद्देश्यों के लिए कार्यालय में देर तक बैठे रहते थे....."

(निष्कर्ष - अभिलेखों को गढ़ना)

"यह नवंबर 1989 के महीने का कोई समय था जब श्री राजीव कुमार महिंद्रा, तत्कालीन दैनिक वेतनभोगी टाइपिस्ट, को श्री एपी जैन ने अपने कमरे में बुलाया था और उन्हें 5 बजे के बाद कार्यालय नहीं छोड़ने के लिए कहा था। शाम को, जब कर्मचारी कार्यालय से चले गए तो वह श्री एपी जैन के कमरे में आए और श्री जैन ने उन्हें अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर वाली एक उपस्थिति शीट दी और उसमें नयी उपस्थिति पत्रक टाइप करते हुए अपने बेटे श्री पुनीत जैन का नाम जोड़ने के लिए कहा। तदनुसार, श्री राजीव ने अभ्यर्थियों के नाम, पते और अन्य विवरण टाइप किए और उस पत्रक में श्री पुनीत जैन का नाम शामिल किया। श्री राजीव ने उक्त पत्रक की सभी प्रतियां श्री एपी जैन को मूल उपस्थिति पत्रक सहित दे दी । इसके बाद उन्होंने उन्हें कराधान निरीक्षक के पद के लिए उपयोग की जाने वाली साक्षात्कार शीट का एक और सेट दिखाया और उनसे उक्त शीट को टाइप करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रासंगिक टाइपराइटर का पता लगाने के लिए कहा। उक्त शीट में साक्षात्कार के अंक पेंसिल से लिखे थे। उन्होंने श्री महिंद्रा से टाइपिंग शाखा के सभी टाइपराइटरों के नमूना छाप लाने के लिए कहा, जिसे वह ले आए और

संबंधित टाईपराइटर को ढूँढकर श्री महिंद्रा द्वारा श्री एपी जैन के कमरे में लाया गया। श्री जैन ने उनसे साक्षात्कार शीट की एक प्रति में श्री पवन कुमार के नाम के नीचे श्री पुनीत जैन का नाम, पता और अन्य विवरण टाइप करने के लिए कहा, जिसमें पेंसिल से अंकन किया गया था। सबसे पहले, उन्होंने श्री पवन कुमार (रोल नंबर 9722) के बाद उक्त विवरण टाइप किया, जिस पर श्री जैन ने आपत्ति जताई, जिन्होंने उनसे रोल नंबर 9728 वाले श्री पवन कुमार के दूसरे नाम के नीचे श्री पुनीत जैन के उक्त विवरण को टाइप करने के लिए कहा। तदनुसार, उन्होंने पहले वाले को मिटाकर रोल नंबर 9728 वाले श्री पवन कुमार के नाम के नीचे श्री पुनीत जैन का विवरण फिर से टाइप किया। इस प्रकार, उन्होंने दिनांक 6-10-1989 को पिंजौर में आयोजित कराधान निरीक्षकों के साक्षात्कार के लिए सलाहकार के प्रासंगिक साक्षात्कार पत्रक में श्री पुनीत जैन का नाम डाला। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था, क्योंकि वह श्री एपी जैन के अधीन दैनिक वेतन पर काम कर रहे थे और उनके मन में डर था कि अगर उन्होंने अनुपालन नहीं किया तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। श्री राजीव महिंद्रा द्वारा श्री पुनीत जैन के नाम सहित

टाइप की गई शीटों में से एक का उपयोग श्री एपी जैन द्वारा उपस्थिति पत्रक के रूप में किया गया था। इस शीट पर, श्री पुनीत जैन ने यह दिखाने के लिए अपने वास्तविक हस्ताक्षर किए जैसे कि उन्होंने दिनांक 6-10-1989 को पिंजौर में साक्षात्कार में भाग लिया था और शेष अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर उक्त उपस्थिति शीट पर जाली थे। ऐसे सात हस्ताक्षर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी श्री महावीर शर्मा, जो दिनांक 2-5-1990 को विभाग में आये थे, द्वारा फर्जी बनाये गये थे जिसकी पुष्टि हस्तलेखन विशेषज्ञ ने भी की है। श्री एपी जैन ने श्री महावीर शर्मा से कहा कि कराधान निरीक्षक से संबंधित कुछ रिकॉर्ड उच्च न्यायालय में दाखिल करने के लिए तैयार किए जाने हैं और उन्होंने उन्हें उपस्थिति पत्रक पर कुछ अभ्यर्थियों के जाली हस्ताक्षर करने के लिए कहा, जो उन्होंने उनके निर्देशों के तहत किया था। इस प्रयोजन के लिए, उन्होंने उसे मूल शीट प्रदान की, जिस पर मूल अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर मौजूद थे। उस शीट पर हस्ताक्षर देखने के बाद, उन्हें उपस्थिति शीट पर उम्मीदवारों के फर्जी हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया, जो श्री एपी जैन के पास पहले से ही उपलब्ध थी। उन्होंने देर रात श्री एपी जैन के कमरे में यह काम किया। श्री ए.पी.

जैन ने उनसे कुछ साक्षात्कार पत्रों पर किसी अभ्यर्थी के नाम के आगे पेंसिल से अंक लिखने के लिए भी कहा था। इस प्रयोजन के लिए, उन्होंने उसे रफ शीट दी जिस पर पहले से ही अंकन किया गया था और उस आधार पर उसे साक्षात्कार शीट की अन्य प्रतियों पर पेंसिल से अपनी लिखावट में कॉपी करने के लिए कहा गया था। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने कुछ साक्षात्कार पत्रों पर श्री राव इंद्रपाल के जाली हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन उन्हें यह याद नहीं है कि वे साक्षात्कार पत्र कराधान निरीक्षकों या पटवारियों से संबंधित थे या नहीं। पिंजौर के लिए दिनांक 6-10-1989 को साक्षात्कार शीट के उक्त सेट की शीट नंबर 29 पर सभी पेंसिल चिह्न उनके द्वारा लिखे गए थे जैसा कि उनके द्वारा बताया गया था। इस शीट में साक्षात्कार के अंक और श्री पुनीत जैन सहित अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में प्राप्त अंक दर्शाए गए थे। उन्होंने पिंजौर के लिए दिनांक 6-10-1989 की साक्षात्कार शीट की कार्यालय प्रति की शीट संख्या 6 के पीछे श्री राव इंद्रपाल के हस्ताक्षरों का अभ्यास करना स्वीकार किया। इसी प्रकार, दिनांक 12-10-1989 को हिसार की साक्षात्कार शीट की शीट संख्या 77 के कॉलम संख्या 4 से 8 में पेंसिल मार्किंग श्री जैन के

निर्देशानुसार श्री महावीर शर्मा द्वारा उन्हें दी गई

साक्षात्कारशीट के आधार पर लिखी गई थी। दिनांक 12-10-1989, हिसार की साक्षात्कारशीट के रिक्त सेट के साथ संलग्न अतिरिक्त शीट पर क्रमानुसार 1 से 4 अंकित हैं, जो भी श्री महावीर शर्मा द्वारा लिखी गई थी। इन शीटों में दिनांक 12.10.89 को हिसार में साक्षात्कार दिये अभ्यर्थियों के नाम और अन्य विवरण दर्शाये गये थे।"

(निष्कर्ष.- जालसाजी)

"श्री एपी जैन के इस नोट में संकेत दिया गया है कि 26 श्रेणियों के पदों में उल्लिखित पदों के लिए लिखित परीक्षा से संबंधित मुख्य पुस्तक और पुरस्कार सूची सहित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड, जिसमें क्रम संख्या-1 पर कराधान निरीक्षकों का पद भी शामिल है, दिनांक 2-2-1990 को कार्यालय में उपलब्ध था। इसके बाद, श्री एपी जैन ने 2-2-1990 को मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को पत्र लिखा जिसमें उल्लेख किया गया था कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के भीतर प्राप्त रिपोर्ट से पता चला है कि श्री ए.एस. दांगी के खिलाफ कुछ भी बकाया नहीं था। इसके बाद, बोर्ड के

अध्यक्ष पद से श्री ए.एस. दांगी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया।

श्री डांगी के बोर्ड छोड़ने के बाद, कुछ महीनों तक सरकार द्वारा किसी भी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जा सकी। श्री ए.पी. जैन, तब सीधे उच्च-अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करते थे और उसी पर अमल करते थे।....."

(निष्कर्ष - उच्च-अधिकारियों के आदेश पर कार्रवाई)

"20-4-1990 को, श्री एपी जैन ने 12 अभ्यर्थियों की एक और सूची ( 7 सामान्य श्रेणी, 2 एससी श्रेणी, 2 भूतपूर्व सैनिक और 1 पिछड़ा वर्ग श्रेणी) को नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए उत्पाद शुल्क एवं कराधान आयुक्त को भेजी। यह सूची 20-4-1990 को सायं 5.50 बजे उत्पाद शुल्क एवं कराधान आयुक्त के कार्यालय में प्राप्त हुई। इस सूची में क्रमांक 5 पर सामान्य वर्ग के अंतर्गत श्री मालदेव (रोल नंबर-15170) का नाम शामिल था, जो हरियाणा के तत्कालीन राज्य मंत्री श्री त्यागी से संबंधित था। वास्तव में, श्री त्यागी ने 23-4-1990 को एक नोट भी उत्पाद शुल्क एवं कराधान आयुक्त को भेजा था जिसमें निर्देश दिया गया था कि बोर्ड द्वारा प्रायोजित सभी 96 उम्मीदवारों को



उनकी श्रेणियों की परवाह किए बिना नियुक्ति पत्र जारी किए जाने चाहिए। दूसरे शब्दों में, वह चाहते थे कि उत्पाद एवं कराधान आयुक्त सामान्य वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र जारी करें..."

(निष्कर्ष.- मंत्रिस्तरीय हस्तक्षेप)

"शेष 14 विवादित उम्मीदवारों में से, एक उम्मीदवार श्री पुनीत जैन, रोल नंबर 9749, बोर्ड के तत्कालीन सचिव श्री एपी जैन के पुत्र हैं। रिकॉर्ड पर साक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि वह 6-10-1989 को पिंजौर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित नहीं हुआ जैसा कि गढ़े हुए रिकॉर्ड में दिखाया गया है और उसका चयन भी मनमाने ढंग से किया गया है। जांच से पता चला है कि साक्षात्कार पत्र का मूल प्रासंगिक पृष्ठ रिकॉर्ड से हटा दिया गया था और गढ़े हुए पृष्ठ को उसके स्थान पर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। बोर्ड के सदस्य की उपस्थिति शीट के साथ-साथ साक्षात्कार शीट में संबंधित पृष्ठ की टाईपराइटर छाप एक समान है, जबकि यह सलाहकार की साक्षात्कार शीट की कॉपी में उपलब्ध उसी पृष्ठ की टाईपराइटर छाप से भिन्न है। जांच से पता चला है कि श्री एपी जैन ने साक्षात्कार पूरा

होने के काफी बाद एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी से एक नई शीट टाइप कराई, जिसमें उनके बेटे श्री पुनीत जैन का नाम शामिल था और उन्होंने अपने बेटे का नाम सलाहकार की साक्षात्कार शीट की प्रति में भी डलवाया।"

(निष्कर्ष - पक्षपात)

उपरोक्त उद्धरण स्पष्ट रूप से बोर्ड के "कुकर्मों" को स्थापित करते हैं। उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, अकाट्य निष्कर्ष यह है कि "धोखाधड़ी अपने चरम पर पहुंच गई है"। ये जितने घृणित कार्य हैं उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, इससे भी कम अपराध किये जा सकते हैं। हमें शेक्सपियर के ये शब्द याद आते हैं:

"Thus much of this, will make

Black, white; foul, fair;

wrong, right; Base, noble;

Ha, you gods! why this?" (**Timon of Athens.**

**Act IV. Sc. 3)**

यह निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल नहीं होगा कि ये सब बाहरी विचारों से प्रेरित थे। अन्यथा, बिना साक्षात्कार के चयन, फर्जी और

भूतिया साक्षात्कार,अंतिम रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़, फर्जी दस्तावेज,जालसाजी का कोई हिसाब कैसे लगाया जा सकता है? इनमें से प्रत्येक पर भारतीय दंड संहिता के दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे । उन्हें दण्डमुक्ति के साथ किया गया है।

कहानी यहीं खत्म नहीं होती. "चयन सूची" में से अभ्यर्थियों को गुप्त सूचना भेज दी गई है। चयन मेडिकल परीक्षण या पूर्ववृत्त के सत्यापन के बिना किया गया।

यह अत्यंत खेदजनक है कि छोटे-बड़े सार्वजनिक कार्यालयों के धारक यह भूल गए हैं कि उन्हें सौंपे गए पद पवित्र विश्वास के हैं। ऐसे पद उपयोग के लिए होते हैं, दुरुपयोग के लिए नहीं। एक मंत्री से लेकर एक छोटे आदमी तक हर कोई अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए बेईमानी कर रहा है। पूरी परीक्षा और साक्षात्कार उन लोगों के घटिया चरित्र को प्रदर्शित करने वाला हास्यास्पद साबित हुआ जो इस घिनौने प्रकरण के लिए जिम्मेदार हैं। इस तरह की व्यवस्थित धोखाधड़ी का पता चलने पर हमारी अंतरात्मा को झटका लगता है। यह कुछ हद तक आश्चर्य की बात है कि उच्च न्यायालय को अभिलेखों के नष्ट होने के मद्देनजर यह कहते हुए कम से कम प्रतिरोध का रास्ता अपनाना चाहिए था कि वह असहाय था। उन्हें स्वयं ही अपनी मदद करनी चाहिए थी, कानून इतना भी शक्तिहीन नहीं है।

उपरोक्त परिस्थितियों में, हमें क्या करना है? हमारे लिए एकमात्र उचित मार्ग संपूर्ण चयन को रद्द करना है। दलील दी गई कि निर्दोष उम्मीदवारों को दूसरों के कदाचार के लिए

दंडित नहीं किया जाना चाहिए। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। जब संपूर्ण चयन बदबूदार हो, कपट में रचा गया हो और धोखे में दिया गया हो, तो व्यक्तिगत मासूमियत का कोई स्थान नहीं है क्योंकि "धोखाधड़ी सब कुछ उजागर कर देती है"। दूसरे शब्दों में कहें तो पूरा चयन मनमाना है। गलती इसी में है, व्यक्तिगत उम्मीदवारों में नहीं। तदनुसार, हम कराधान निरीक्षकों के चयन को रद्द कर दिया है।

चयन को रद्द करने के प्रभाव का मतलब यह होगा कि इन 96 अभ्यर्थियों (उत्तरदाताओं सहित) जिनको नियुक्तियों दी गई हैं, को कार्यालय में जाने का कोई अधिकार नहीं होगा। सामान्यतया, हमें उनसे अपेक्षा करनी चाहिए कि वे इन गलत तरीके से कमाए गए लाभों को वापस करे। इसका मतलब है कि उन्हें उक्त कार्यालय से प्राप्त संपूर्ण वेतन और भत्ते चुकाने होंगे। लेकिन, यहां हम सहानुभूति की एक झलक दिखाते हैं। 4 वर्ष से अधिक समय से वे "पद" का लाभ उठा रहे थे। यदि उनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाए और उन्हें यह सिखाया जाए कि बेईमानी कभी भी फल नहीं दे सकती, तो उन्हें उचित सबक मिलेगा।

अगला सवाल यह है कि आगे की कार्रवाई क्या है? इसके द्वारा यह आदेश दिया जाता है:

(i) कराधान निरीक्षकों के 96 पदों के लिए नए सिरे से चयन किया जाएगा।

(ii) वे सभी उम्मीदवार जिन्होंने विज्ञापन संख्या 3 दिनांक 7-7-1988 के क्रम में आवेदन किया था और जो पात्र पाए गए थे, ऐसी परीक्षा देने के हकदार होंगे।

(iii) लिखित परीक्षा के लिए कुल अंक 200 होंगे।

(iv) साक्षात्कार के लिए कुल अंक 25 होंगे जो 12 1/2 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे जैसा कि मोहिंदर सिंह गर्ग बनाम पंजाबी राज्य [1991] 1 Sec 662 में उसी पद के संदर्भ में निर्धारित किया गया है।

(v) अंतिम तिथि 30-6-1994 निर्धारित करते हुए नए सिरे से परीक्षा की घोषणा करने वाला विज्ञापन तुरंत जारी किया जाएगा।

(vi) आवेदनों की स्वीकृति और परीक्षा के कार्यक्रम की सूचना 16-8-1994 को या उससे पहले दी जाएगी।

(vii) परीक्षा 1-9-1994 से उतने केन्द्रों पर प्रारम्भ होगी, जितने आवश्यक हो।

(viii) मूल्यांकन 31-10-1994 से पहले पूरा किया जाएगा।

(ix) प्राप्त अंक नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने के अलावा हरियाणा राज्य में बड़े प्रसार वाले तीन प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे।

(x) साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या भरे जाने वाले पदों की संख्या से तीन गुना से अधिक नहीं होगी।

(xi) साक्षात्कार 7-11-1994 से शुरू होगी और 25-11-1994 तक पूरी होगी। सारणीबद्ध परिणामों का अंतिम विश्लेषण 10-12-1994 को या उससे पहले इस न्यायालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

हम यह स्पष्ट करते हैं कि पिछली परीक्षा से जुड़े किसी भी व्यक्ति को वर्तमान परीक्षा से कोई संबंध रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हम इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन की अपेक्षा करते हैं। इस संबंध में किसी भी परिस्थिति में समय का विस्तार नहीं किया जाएगा। राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा कि परीक्षाएं बिना किसी शिकायत के निष्पक्ष रूप से आयोजित की जाएं। यदि आवश्यक हो, तो राज्य इसके लिए एक स्वतंत्र निकाय या एजेंसी की सहायता ले सकती है ताकि लोगों में यह आत्मविश्वास पैदा कर सके और यह विश्वास दिला सके

कि इस मामले में की गई कदाचार की शिकायत की एक पृथक अध्याय और अतीत की बात है।

(xii) चूंकि हमने सीबीआई रिपोर्ट स्वीकार कर ली है, इसलिए हम निर्देश देते हैं कि सभी संबंधित लोगों के खिलाफ आवश्यक अभियोजन शीघ्र शुरू किया जाए, भले ही वे आधिकारिक पद के पदानुक्रम में कितने भी ऊंचे या नीचे क्यों न हों। यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार बिना किसी देरी के आवश्यक मंजूरी देने का अच्छा प्रयास करेगी। हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव इस पर पूरा ध्यान देंगे।

मनमाने ढंग से चयन के कारण अपीलकर्ताओं जैसे उम्मीदवारों को काफी नुकसान हुआ है। वे लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। हमारा मानना है कि कम से कम हम जो कर सकते हैं, वह यह है कि उन्हें कम से कम एक छोटे तरीके से मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसलिए, हम प्रत्येक उत्तरदाता 1 से 4 पर 10,000 रुपये (दस हजार रुपये मात्र) का जुर्माना, यह स्पष्ट करते हुए अधिरोपति करते हैं कि चयन बोर्ड का प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से इसका भुगतान करेगा और इसे राज्य के खाते से डेबिट नहीं किया जाएगा। सामान्यतः तौर पर, हमें एपी जैन के खिलाफ जुर्माना देना चाहिए था जो कि सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य खलनायक है, लेकिन दुर्भाग्य से उसे एक पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन हमें यह सोच कर तसल्ली है

कि कानून के लंबे हाथ उस तक पहुंचने में असफल नहीं होंगे. लागत का पुरस्कार केवल इस अन्यायपूर्ण और मनमाने चयन पर हमारी गहरी नाराजगी व्यक्त करने के लिए है।

हमारे इन सभी प्रयासों का उद्देश्य लोक प्रशासन को स्वच्छ बनाना है। इसमें कोई शक नहीं, यह एक शानदार काम हो सकता है लेकिन हमें उम्मीद है कि यह छोटा सा कदम आने वाले दिनों में बड़ी प्रगति करेगा। तदनुसार, अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी महेश कुमार कुमावत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।